

राजस्थान सरकार



* रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र *

क्रमांक 206 / अलवर, 2005-2006

यह प्रमाणित किया जाता है कि राजधानी विद्यालय सेवा समिति

बान्सुर

जिला

अलवर

का राजस्थान

संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम नं० 28, 1958) के अन्तर्गत
रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक

5

माह

मार्च

सन् 2005-2006 को अलवर में दिया गया।



21-5-06
रजिस्ट्रार संस्थायें
अलवर

Principal

Rajdhani Public School
Bansur (Alwar) Rajasthan

Chairman

Rajdhani Public School
Bansur (Alwar) Rajasthan